UPGK010012382026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 608/2026,

1- विपिन उपाध्याय पुत्र विनोद उपाध्याय,
2- प्रणीण उपाध्याय पुत्र विनोद उपाध्याय,
निवासीगण- ग्राम रानीडीह, थाना- हरपुर बुदहट,
जनपद- गोरखपुर। आवेदकगण/अभियुक्तगण,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 135/2025,
धारा- 110,115 (2),126 (2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- हरपुर बुदहट, जनपद- गोरखपुर।

10.03.2026

आदेश

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदकगण/अभियुक्तगण विपिन उपाध्याय व प्रणीण उपाध्याय की ओर से अपराध संख्या- 135/2025, धारा- 110,115 (2),126 (2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- हरपुर बुदहट, जनपद- गोरखपुर में प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 15.07.2025 को समय करीब 05:00 बजे शाम प्रथम सूचनाकर्ता अर्जुन चौबे सोनबरसा बाबू चौराहा से अपने घर रानीडीह जा रहा था तभी रास्ते में विपिन उपाध्याय, प्रवीण उपाध्याय, विनोद उपाध्याय व श्याम नारायण प्रथम सूचनाकर्ता को रोक कर लाठी-डण्डे व लोहे की राड से मारने-पीटने लगे, जिससे प्रथम सूचनाकर्ता का सिर फट गया व काफी चोटे आयी।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उन्हें इस मामले में लिप्त किया गया है। चिकित्सकीय आख्या के अनुसार आहत को आयी सभी चोटे साधारण प्रकृति की है। आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी पुलिस अधिकारी/विवेचक द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछ-ताछ हेतु स्वयं उपलब्ध रहेंगे। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की प्रबल आशंका है। प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्तगण विनोद उपाध्याय व श्याम नरायन

उपाध्याय का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि कथित घटना की तिथि को आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा घटना स्थल पर विद्यमान रहकर प्रथम सूचनाकर्ता को रास्ते में रोक कर लाठी-डण्डे व लोहे की राड से प्रहार कर गम्भीर उपहति पहुॅचायी गयी। अतएवं मामले की गम्भीरता एवं आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्राथमिकी में आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह-अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचनाकर्ता को रास्ते में रोक कर लाठी-डण्डे व लोहे की राड से प्रहार कर गम्भीर उपहति पहुॅचाने का उल्लेख है, जिससे आवेदकगण/अभियुक्तगण ने अपने जमानत प्रार्थना-पत्र में इन्कार किया है। चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में आहत अर्जुन चौबे के सिर सहित शरीर के अन्य भागो पर कुल 03 उपहति आना उल्लिखित है। उपहति संख्या- 01 के सम्बन्ध में चिकित्सक द्वारा सी०टी० स्कैन की सलाह दी गयी है, किन्तु सी०टी० स्कैन रिपोर्ट में कोई असामान्यता नहीं पायी गयी है। चिकित्सक के द्वारा आहत को आयी उपहतियॉ प्राणघातक अथवा जीवन के लिये आसन्न संकटकारी होने का कथन नहीं है। प्राथमिकी में आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध सामान्य प्रकृति के आरोप लगाये गये हैं, किसी विशिष्ट भूमिका का अभिकथन नहीं है। आहत को वर्तमान समय में उपचारार्थ चिकित्सालय में भर्ती होना नहीं बताया गया है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण को किसी अपराध में पूर्व में नामित अथवा दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। मामले के विचारण की अवधि में आवेदकगण/अभियुक्तगण को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्तगण विनोद उपाध्याय व श्याम नरायन उपाध्याय का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है और आवेदकगण/ अभियुक्तगण की भूमिका उक्त जमानत प्राप्त सह-अभियुक्त से भिन्न व गुरूतर प्रकृति का होना दर्शित नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा स्वयं की गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त की गई है।

अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदकगण/

अभियुक्तगण को **अमन प्रीत सिंह बनाम सी०बी०आई० जरिये डायरेक्टर 2021 ए०सी०सी० आनलाईन एस०सी० 941** व **सत्येन्द्र कुमार अंटिल प्रति केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो व अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51** में दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर सशर्त अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण विपिन उपाध्याय व प्रणीण उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त में प्रत्येक को सम्बन्धित थानाध्यक्ष/न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन मुबलिग 25,000-25,000/-रूपये का स्वबन्ध पत्र, उसी धनराशि के दो-दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाय-

1- आवेदकगण/अभियुक्तगण निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/ न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगे, तथा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने तक सप्ताह में एक दिन विवेचक/सम्बन्धित थाने में उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग करेंगे।

2- आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगे।

3- यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण के पास पासपोर्ट है, तो वह उसे सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेगा।

4- आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किए जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेगे एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगे।

5- आवेदकगण/अभियुक्तगण निष्पादित बन्धपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगे।

6- आवेदकगण/अभियुक्तगण उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

7- आवेदकगण/अभियुक्तगण मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगे या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगे।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
10 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.10 16:19:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court